

कोयला उत्पादन की लागत*** 595. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :****श्री बीरेन जे. शाह :**

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कोयले की कराधान-पूर्व लागत विश्व में सबसे कम है ;

(ख) यदि हां, तो देश में कोयला उत्पादन की अनुमानित औसत लागत कितनी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में कोयले की कराधान पश्चात् कीमत कोयले की अंतर्राष्ट्रीय कीमत की तुलना में अधिक है ; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1993-94 में देश में कोयले की कीमत पर कितने प्रतिशत कर लगता था ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पाण्डा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड (को.इं.लि.) के निबल बिक्री-योग्य कच्चे कोयले की औसत उत्पादन लागत वर्ष 1992-93 के लिए 334.31 रुपए प्रति टन थी। सिगरेन्ती कोलियरीज कंपनी लि. (सि.को.कं.लि.) के संबंध में वर्ष 1992-93 के लिए औसत लागत 491.98 रुपए प्रति टन थी। अधिकांश उत्पादक लागत को गोपनीय रूप में रखते हैं और वे इस बारे में सूचना देने को तैयार नहीं होते हैं। अतः अन्य देशों की उत्पादन लागत के संबंध में कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) कोल इंडिया लि. द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि कोयले पर आयात शुल्क में कमी किए जाने के परिणामस्वरूप, कुछ मामलों में, पत्तनों के समीप आयाति-

कोयले की सकल कैलोरीयिक कीमत के रूप में भूमिगत लानैट, देशीय कोयले की भूमिगत लागत, जिसमें कर तथा परिवहन प्रभार शामिल हैं, की तुलना में कम हो सकती है।

(घ) वर्ष 1993-94 के लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया उनकी लेखा-परीक्षा नहीं की गई है। किन्तु, वर्ष 1992-93 के कोल इंडिया लि. के लेखों के अनुसार, कोयले पर कुल कराधान, निबल बिक्री का 26.5 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है।

Complaints Against Office of Controller of Mines Safety

596. DR. SHRIKANT RAMCHAN-DRA JICHKAR: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) how many complaints have so far been received against the office of the Controller of Mines Safety;

(b) whether it is a fact that due to neglect by this office, a number of serious accidents have taken place in the past;

(c) if so, what steps are being taken to ensure that the said office function effectively; and

(d) what action Government propose to take against the officers who are even remotely responsible for very serious mine accidents?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) to (d) It is not a fact that due to neglect by the office of the Director General of Mines Safety a number of serious accidents have taken place in the past. The provisions for safety in mines-which are contained in the Mines Act, 1952 and the rules and regulations framed thereunder are required to be complied with by the mine managements. -As per information available no comp-